



Indian Council of Agricultural Research
National Agricultural Science Fund (NASF)
Krishi Anusandhan Bhavan-I, Pusa New Delhi – 110 012
Website: <http://www.icar.org.in/nasf/index.html>

Invitation for Research Pre-Proposals for Funding by ICAR-NASF

The Indian Council of Agricultural Research invites Pre-Proposals for projects on research proposals on basic and strategic research in the frontier areas of sciences that are relevant to agriculture (including livestock and fishery sciences) in the following major strategic priority areas. The projects would be considered and funded largely in a network mode in major theme areas. The specific areas under each major area are listed in the website: <http://www.icar.org.in/nasf/index.html> or <https://nasf.icar.gov.in/>

Strategic Areas:

i. Biotechnology, genomics, metabolomics and allele mining in plants, animals and fisheries; ii. Abiotic and biotic stresses and, quality traits in plants, animals and fisheries; iii. Precision agriculture and management of natural resources; and application of sensors in crops, animals and Fisheries; iv. Nanotechnology in Agriculture; v. Farm Mechanization and energy; vi. Social Sciences and policy in agriculture and allied areas

Research projects will be selected through a three stage competition: Pre-Proposal, Full Research Proposals developed from the pre-proposals and presentation before the committee(s) after networking the proposals.

Who can submit a proposal ?

Proposals of projects of three years of duration can be submitted by any institution: public, private, or civil society with proven and relevant research capacity. The institutions/ organizations submitting project proposals need to be recognized by governments (Central & State) as a scientific organization. Any one institute can submit not more than six (6) Pre-Proposals as the lead institution. A University or Deemed to be University of ICAR (ICAR-IARI, ICAR-IVRI, ICAR-NDRI, ICAR-CIFE) can submit up to fifteen (15) Pre-Proposals. When these numbers are exceeded, the Pre-Proposals will be automatically rejected on last-come first-out basis. A scientist who has been awarded a project of ICAR-NASF as the Principal Investigator (PI) and the project is likely to continue beyond 1st July 2024 should not submit a Pre-Proposal in response to this call. However, a CCPI (Cooperating Centre PI) of a project can submit a new Pre-Proposal. Applicant should not have more than one project from ICAR-NASF (two including the proposed one). The proponents should ensure that they are not involved as PI/ CCPI in more than two extra mural projects (three including the proposed proposal). Persons with RMP positions (*viz.*, Directors, VCs) are not eligible to apply for projects as PIs/ CCPIs. The Head of the concerned organization need to verify/certify towards this.

Components of expenditure to be funded:

The details on types of expenditure eligible for funding are given on the website. Multi-institutional and multidisciplinary comprehensive project proposals costing about Rs.2.00 crores or more will be preferred. Attempt to unjustifiably make the budget reach Rs. 2.00 crores will draw negative valuation. Brilliant concepts of projects but of smaller budget than Rs. 2.00 crores may also be considered.

Submission of Pre-Proposal:

- Pre-Proposal must be submitted through **On-line Mode** only at the website: <https://nasf.icar.gov.in/>. Pre-proposals in physical and/or any other form will not be entertained and shall be summarily rejected.
- Submission of online Pre-proposals starts **on 10 June, 2024 at 10:00 hrs.**
- Last date and time for submission of online Pre-proposals **09 July, 2024, 17:30 hrs.**
- The link will automatically get disabled after the closing date and time. Thereafter, no request will be entertained.
- For further details and submission guidelines of ICAR-NASF please see the website given above.



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष (रा.कृ.वि.को.)
कृषि अनुसंधान भवन-1 पूसा नई दिल्ली- 110012
वेबसाइट: <http://www.icar.org.in/nasf/index.html>

भा.कृ.अ.प.-रा.कृ.वि.को. द्वारा वित्त पोषण हेतु अनुसंधान पूर्व-प्रस्तावों के लिए आमंत्रण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि के लिए प्रासंगिक विज्ञानों के सीमांत क्षेत्रों (पशु धन एवं मत्स्य विज्ञान सहित) के निम्न लिखित प्रमुख कार्यनीतिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में मूलभूत एवं सामरिक अनुसंधान से सम्बन्धित अनुसंधान प्रस्तावों पर परियोजनाओं हेतु पूर्व-प्रस्ताव आमंत्रित करता है। परियोजनाओं पर मुख्य विषय-वस्तु क्षेत्रों में व्यापक रूप से नेटवर्क प्रणाली में विचार और वित्त पोषण किया जाएगा। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के तहत वैज्ञानिक क्षेत्रों की सूची वेबसाइट: <http://www.icar.org.in/nasf/index.html> या <https://nasf.icar.org.in/> में दी गई है।

कार्यनीतिक क्षेत्र :

i. पादप, पशुओं एवं मत्स्यिकी में जैव प्रौद्योगिकी, जीनोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स एवं एलील माइनिंग, ii. पादप, पशु और मत्स्यिकी में जैविक एवं अजैविक प्रतिबल एवं गुणवत्ता सम्बन्धी गुण iii. परिशुद्ध कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन और फसल, पशु और मत्स्यिकी में सेंसरों का अनुप्रयोग, iv. कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी, v. कृषि यंत्रीकरण एवं ऊर्जा, vi. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान और नीति।

अनुसंधान परियोजनाओं का चयन तीन चरणों में प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा: पूर्व -प्रस्ताव, पूर्व प्रस्तावों से विकसित पूर्ण अनुसंधान एवं प्रस्तावों की नेटवर्किंग के बाद समिति (समितियों) के समक्ष प्रस्तुतिकरण।

प्रस्ताव कौन प्रस्तुत कर सकता है ?

तीन वर्षों की अवधि की परियोजना के प्रस्ताव किसी संस्थान सार्वजनिक, निजी या प्रमाणित और प्रासंगिक अनुसंधान क्षमता वाली सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुति किए जाने वाले संस्थानों/संगठनों को सरकारों (केंद्रीय एवं राज्य) द्वारा वैज्ञानिक संगठनों के रूप में मान्यता होना आवश्यक है। कोई भी संस्थान अग्रणी संस्थान के रूप में छ: (6) पूर्व-प्रस्ताव से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकता है। एक विश्वविद्यालय या भा.कृ.अ.प. के मानद विश्वविद्यालय (भा.कृ.अ.प.-आई.ए.आर.आई. भा. कृ.अ.प.-आई.वी.आर.आई, भा.कृ.अ.प.-एन.डी.आर.आई. भा.कृ.अ.प.-सी.आई.एफ.ई.) पंद्रह (15) तक पूर्व-प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। जब यह संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाती है तो अंत में आया पहले-गया आधार पर स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

एक वैज्ञानिक जिसे प्रधान अन्वेषक (पीआई) के रूप में भा.कृ.अ.प.-रा.कृ.वि.को. की कोई परियोजना दी गई है और जिस परियोजना के 1 जुलाई, 2024 के बाद भी जारी रहने की संभावना है, उसे इस मांग के प्रत्युत्तर में कोई पूर्व-प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यद्यपि, किसी परियोजना के सीसीपीआई (सहयोगी केंद्र पीआई) एक नया पूर्व-प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके पास भा.कृ.अ.प.-रा.कृ.वि.को. की एक से अधिक परियोजनाएं (प्रस्तावित सहित दो) नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दो से अधिक अतिरिक्त-बाहरी परियोजनाओं (प्रस्तावित प्रस्ताव सहित तीन) में पीआई/सीसीपीआई के रूप में सम्मिलित नहीं हैं। आरएमपी के पद वाले व्यक्ति (अर्थात निदेशक, कुलपति) पीआई/सीसीपीआई के रूप में परियोजनाओं के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। सम्बन्धित संगठन के अध्यक्ष को इस संबंध में सत्यापन/प्रमाणित करने की आवश्यकता है।

वित्त पोषित किये जाने वाले व्यय के घटक :

वित्त पोषण के लिए योग्य व्यय के प्रकारों का विवरण वेबसाइट पर दिए गए हैं। लगभग दो करोड़ रुपये या अधिक की लागत के बहु-संस्थानिक और बहु-विषयक क्षेत्रों सम्बन्धी व्यापक परियोजना-प्रस्तावों को वरियता दी जाएगी। अनुचित तरीके से दो करोड़ रुपये के बजट तक पहुंचने के प्रयास का नकारात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। दो करोड़ रुपये से कम की उत्कृष्ट अवधारणाओं वाली परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत करना :

- पूर्व-प्रस्ताव, वेबसाइट: <https://nasf.icar.gov.in/> पर केवल ऑन-लाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं। कागजी प्रति और/या किसी अन्य रूप से प्रस्तुत पूर्व प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा तुरन्त ही अस्वीकार कर दिये जाएंगे।
- पूर्व प्रस्तावों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण 10 जून, 2024 को 10.00 बजे पूर्वान्ह शुरू होगा।
- पूर्व प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय 09 जुलाई, 2024, 5.30 अपराहन होगा।
- समापन समय एवं दिनांक के पश्चात् लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। तत्पश्चात् किसी भी प्रकार की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- भा.कृ.अ.प.-रा.कृ.वि.को. के और अधिक विवरण और प्रस्ताव प्रस्तुत करने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के लिए कृपया ऊपर दी गई वेबसाइट देखें।